

विज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये देशी शराब, विदेशी शराब, विदेशी मद्य, बीयर एवं भांग की फ़टकरी बिक्री की टुकानों व माहल शाप तथा देशी शराब, विदेशी मद्य, बीयर के शक अर्जनापनों के अवरुध्दान हेतु आवश्यक सुचना

सर्वसाधारण की सुचित किया जाता है कि शासनार्देश संख्या 06/2016/427 ई-2/तेरई-2016-56/2015 दिनांक 17-02-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु देशी शराब, विदेशी मद्य, बीयर व भांग की फ़टकरी बिक्री की टुकानों एवं माहल शाप का अवरुध्दान सुसंगत नियमावलीयों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) टुकानों की संख्या में वृद्धि :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए देशी शराब व विदेशी मद्य की टुकानों तथा माहल शाप की प्रदेश की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की प्रदेश की वर्तमान टुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से टुकानों का संचयन किया जाएगा।

(ख) देशी/विदेशी मद्य, बीयर की फ़टकरी टुकानों तथा माहल शाप का अवरुध्दान :- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विदेशी शराब, विदेशी मद्य तथा बीयर की फ़टकरी बिक्री की टुकानों एवं माहल शाप का अवरुध्दान "नवीनीकरण" के माध्यम से किया जाएगा तथा वर्ष 2016-17 के अर्जनापनी को वर्ष 2017-18 हेतु नवसुचित टुकानों के लिये निर्धारित बिक्री लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति पर अर्जनापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकोनिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र अद्युक्त आयुक्त के स्तर पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विदेशी शराब एवं भांग (बरेली प्रभाग सहित) के अलावा शराब आंग, वाराणसी, मारखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभाग को छोड़कर) जिन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मद्य तथा बीयर की फ़टकरी बिक्री की टुकानों एवं माहल शाप का अवरुध्दान "नवीनीकरण" के माध्यम से किया जाएगा। जिन टुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पाया, उनका तथा नवसुचित टुकानों का अवरुध्दान सांठजनिक लाइसेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर निर्माणाधिकारी, कायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर निर्माणाधिकारी द्वारा इस्तेमाल करने हेतु टुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा तथा टुकान के नवीनीकरण की सुचना संबंधित अर्जनापनी को निर्धारित लिखित तक दी जायेगी।

4. देशी शराब की फ़टकरी बिक्री की टुकानों के वर्तमान अवस्थित एम0जी0वर्ग0 (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये 4% की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वारिक अवस्थित एम0जी0वर्ग0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मद्य की टुकानों का वारिक एम0जी0वर्ग0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0वर्ग0 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित प्रति बिक्री लाइसेंस फीस रु 25/- से गुणा करके टुकान की वारिक बिक्री लाइसेंस फीस आगोल की जायेगी जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वारिक लाइसेंस फीस के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रु 226/- प्रति बिक्री लाइसेंस फीस की दर से एम0जी0वर्ग0 में गुणा करके टुकान की वारिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगोल की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वारिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के टुकानों के लिये वारिक बिक्री लाइसेंस फीस आगोल की जायेगी जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वारिक बिक्री लाइसेंस फीस रु 25/-

5. वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रचलित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में प्रचलित 25% v/v शराब की अतिरिक्त अर्जनापन होगा। यह मद्य देशी शराब टुकान के मासिक एम.जी.वर्ग. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बिक्री की दर प्रति लीटर (200एम.एल) निर्धारित की गयी है। इस शर्तों की देशी मद्य का उठान टुकान के निर्धारित मासिक एम.जी. शराब की विशेष शर्तों की देशी मद्य का प्रचलन वर्ष 2017-18 में भी यथावत रहेगा। इस विशेष शर्तों की मद्य की एम.आर. वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रचलित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में प्रचलित 25% v/v शराब की दर में संशोधन माह के अंदर ही उठायी जा सकती। उक्त माह बिक्री लाइसेंस फीस के निर्धारित मासिक एम0जी0वर्ग0 का बिक्री लाइसेंस

11. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निकायवार नवसृजित देशी शराब की फ़्टकर बिकी की रकम की बौद्धिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निधारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (प्रमोजी0खय0) एवं नवसृजित विदेशी मद्य व बीयर की फ़्टकर बिकी की रकम की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निधारण नियमानुसार किया जाएगा :-

क सं0	निकाय	देशी मद्य	विदेशी मद्य	बीयर	माहल शाण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निगम क्षेत्र की रकमों के लिये	60,000	70,000	55,000	75,000
2	नगर पालिका क्षेत्र की रकमों के लिये	55,000	60,000	45,000	65,000
3	नगर पंचायत क्षेत्र की रकमों के लिये	45,000	45,000	28,000	45,000
4	ग्रामीण क्षेत्र की रकमों के लिये	19,000	23,000	13,000	35,000

10. देशी शराब, विदेशी मद्य, बीयर की फ़्टकर बिकी की रकमों एवं माहल शाण के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति रकम कथं में निम्नवत निर्धारित की गई है:-

9. प्रार्थना फीस पर नियमानुसार बेट व अन्य कर भी अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
11,000 प्रति आवदन पत्र एवं माहल शाण के लिए प्रार्थना फीस प्रति आवदन पत्र रु0 12,000/- निर्धारित की गयी है। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु देशी शराब, विदेशी मद्य, बीयर की फ़्टकर बिकी की रकमों के आवदन पत्रों की प्रार्थना फीस रु0 दिया जायेगा।

(ग) लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्रवाई :- गांठी द्वारा अथवा नवीनीकरण हेतु लाइसेंसधारियों के रूप में व्यक्तित्व आवदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसका व्यय/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरहर धनराशि तथा बौद्धिक लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा करेगा। जमा की गई है, राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर लेनी जायेगी और उक्त रकम को तत्काल पुनर्बुद्धि प्राप्त कर दिया जायेगा।

(ख) गांठी/आकर के माध्यम से व्यवस्थित रकमों के संबंध में :- यदि किसी आवदक को देशी शराब, विदेशी मद्य व बीयर लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि जमा करने में 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे दे।
उत्सव यह अवधि का जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने व्यय करने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा।

(क) नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित रकमों के संबंध में :- देशी शराब, विदेशी मद्य व बीयर की फ़्टकर बिकी की रकमों तथा माहल शाण के माह माह-2017 से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली रकम का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस की आधी धनराशि आवदन करने के समय जमा करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवधि लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि जमा करेगा।

8. लाइसेंस फीस/बौद्धिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान :-
निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ व्यय के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

7. बीयर रकम की वृद्धि 2016-17 हेतु व्यवस्थित वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस में वर्ष 2017-18 हेतु कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2016-17 हेतु बीयर रकम की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त बीयर रकम की वृद्धि 2017-18 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरहर धनराशि आवदन के समय एवं

6. विदेशी मद्य रकम की वृद्धि 2016-17 हेतु व्यवस्थित वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस में वर्ष 2017-18 हेतु कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः वर्ष 2016-17 हेतु विदेशी मद्य रकम की वार्षिक व्यवस्थित लाइसेंस फीस को उक्त विदेशी मद्य रकम की वृद्धि 2017-18 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरहर धनराशि आवदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ व्यय के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

रकम की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।
10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विषय श्रेणी की देशी मद्य के उठान में निहित प्रतिकूल श्रेणिक की धनराशि का समायोजन उक्त

(क) श्री0एल0-1बी	शु0 प्रति अनुज्ञापन-	वर्ष 2017-18	नवीनीकरण फीस	रु0 5.00 लाख	(एक इश्त आवदन के समय)
			लाइसेंस फीस	रु0 15.10 करोड़	(एक इश्त आवदन के समय)
			प्रतिभाषि धनराशि	रु0 1.51 करोड़	

- वर्ष 2016-17 के लिये व्यवस्थित देशी शराब की थोक आपूर्ति के श्री0एल0-1बी एवं श्री0एल0-1सी के समस्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रत्येक श्री0एल0-1बी अनुज्ञापी को उक्त जॉन के प्रत्येक जनपद हेतु अलग-अलग स्कीम के श्री0एल0-1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।
- देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (श्री0एल0-1बी एवं श्री0एल0-1सी) के नवीनीकरण हेतु आवदन पत्र आबकारी आधिकारिक, 3050 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
- उपरोक्त अनुज्ञापनों के वर्ष 2017-18 के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस एवं अन्य देयताएं निम्नवत् निर्धारित हैं:-

(ग) देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :-

उपरोक्त के अनिवार्य माहल शासक पर मद्रियान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के मास के लिये निर्धारित है।

निकाय	लाइसेंस फीस (रु0 में)	प्रतिभाषि धनराशि (रु0 में)
1. नगर निगमों एवं नौराज के लिये (शेडर नौराज एवं झांसी की थोक के लिये)	39.70 लाख	4.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माहल शासक के लिये (शेडर नौराज एवं झांसी सहित) फीस को निकाय धारा धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।	14.55 लाख रुपये या ऐसे नगर की विदेशी मद्रिया एवं शीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वाव्य लाइसेंस फीस को निकाय धारा धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 39.70 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।	2.00 लाख

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए माहल शासक की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :-

नगर निगम व इंसकी सीमा से	रक लीटर में	न्यूनतम लाइसेंस फीस	न्यूनतम लाइसेंस फीस
नगर निगम व इंसकी सीमा से 03	26,600	9,85,000	1,95,000
नगर पालिका व इंसकी सीमा से	19,000	3,35,000	1,05,000
नगर पंचायत व इंसकी सीमा से	11,500	1,60,000	60,000
01 कि0मी0 की परिसर तक	6,600	85,000	55,000

1. वर्ष 2016-17 के लिये व्यवस्थित बीयर की शोक आपूर्ति के एक0एल0-2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा।
2. बीयर की शोक आपूर्ति के एक0एल0-2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(क) बीयर की शोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :-

1. उपरीक्तानुसार उपयोग का आगमन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपयोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।
2. अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है।
3. अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य, जिस वित्तीय वर्ष के लिये अनुज्ञापन दिया गया है, उसके ठीक पूर्व के वर्ष से है।
4. यदि एक0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च-2017 से पूर्व कराया जाता है, तो माह मार्च-2017 में माह फरवरी-2017 तक के उपयोग के आधार पर एक0एल0-2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निर्धारण कराया जाएगा और पुनर्निर्धारण में यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करायी जायेगी, किन्तु पूर्व में निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण :-

कम संख्या	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व में जनपद में विदेशी मद्य के फूटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित विदेशी मद्य की संख्या	30,00,000 बीतल से अधिक	53.25 लाख
1	7,00,000 बीतल तक	7,00,000 से अधिक 15,00,000 बीतल तक	6.70 लाख
2	7,00,000 से अधिक 15,00,000 बीतल तक	15,00,000 से अधिक 25,00,000 लाख बीतल तक	13.35 लाख
3	15,00,000 से अधिक 25,00,000 लाख बीतल तक	25,00,000 से अधिक 30,00,000 बीतल तक	26.65 लाख
4	25,00,000 से अधिक 30,00,000 बीतल तक	30,00,000 से अधिक	39.95 लाख
5	30,00,000 बीतल से अधिक		53.25 लाख

1. वर्ष 2016-17 के लिये व्यवस्थित विदेशी शराब की शोक आपूर्ति के एक0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा।
2. विदेशी शराब की शोक आपूर्ति के एक0एल0-2 अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के इलाहाबाद स्थित कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. यदि एक0एल0-2 अनुज्ञापनी शराब, तो एक0एल0-2बी अनुज्ञापन प्राप्त करके एक ही परिस्तर से विदेशी मद्य के साथ ही बीयर की भी विक्री कर सकता है।
4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विदेशी मद्य के शोक अनुज्ञापन एक0एल0-2 की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

(ख) विदेशी शराब की शोक आपूर्ति के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण :-

उपरोक्त धनराशियाँ एक मुश्कल आवेदन के समय जमा की जायेंगी।

आवेदन के समय	₹ 5.10 करोड़
जून-2017 तक	₹ 5.00 करोड़
सितम्बर-2017 तक	₹ 5.00 करोड़
नवीनीकरण फीस	30,000
प्रतिभूति धनराशि	22,500
लाइसेंस फीस	2.25 लाख

(ख) फी0एल0-1बी ₹0 प्रति अनुज्ञापन:-

3.	अनुज्ञापन नवीनीकरण की तिथि	03.12.2016 से 10.12.2016 तक
2.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	08.12.2016 को 18.00 बजे तक
1.	विज्ञापित प्रकाशन	02.12.2016
फमांक	विषय	तिथि

3. एफ0एल0-2/2बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :-

1) सी0एल0-1बी अनुज्ञापनी की दिनांक 07.12.2016 से 10.12.2016 तक जॉन के प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित नवीनीकरण कीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जवा करके सी0एल0-1सी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।

2. सी0एल0-1सी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :-

3.	जॉन वार आवेदनों का परीक्षण कर अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	06.12.2016 को 16.00 बजे तक
2.	समस्त सलानकों के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	06.12.2016 को 14.00 बजे तक
1.	विज्ञापित प्रकाशन	02.12.2016
फमांक	विषय	तिथि

1. प्रत्येक जॉन के सी0एल0-1बी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :-

(ख)

समय सारणी

1. मांग की फूटकर बिछी की वृकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जलर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टिपकर एवं नीलामी) नियमवली, 1991 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

2. मांग की फूटकर वृकानों का व्यवस्थापन उपरीक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जाएगा।

(घ)

मांग की फूटकर वृकानों का व्यवस्थापन :-

1. उपरीक्तानुसार उपभोग का आगमन मुख्यतः व उपलब्ध अतिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।
2. अनुज्ञापन वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष से है, जिस वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञापन दिया गया है।
3. अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष का तात्पर्य जिस वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञापन दिया गया है।
4. यदि एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन मार्च-2017 से पूर्व करया जाता है, तो मार्च-2017 से माह फरवरी-2017 तक के उपभोग के आधार पर एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस का पुनर्निधारण कराया जाएगा और पुनर्निधारण से यदि लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि होती है, तो तदनुसार वृद्धि की धनराशि जमा करावी जाएगी, किन्तु पूर्व से निर्धारित लाइसेंस फीस में कोई कमी नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :-

कम	अनुज्ञापन वर्ष के ठीक पूर्व से जनपद में बीयर के फूटकर अनुज्ञापनों से विषय होने वाली अनुमानित बीयर की बोलती (650 एम0एल0) की संख्या	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस(रुपय में)
1	10,00,000 बोलती तक	4.25 लाख
2	10,00,000 से अधिक 20,00,000 बोलत तक	8.50 लाख
3	20,00,000 से अधिक 30,00,000 बोलत तक	12.75 लाख
4	30,00,000 से अधिक 40,00,000 बोलत तक	16.95 लाख
5	40,00,000 से अधिक 50,00,000 बोलत तक	21.20 लाख
6	50,00,000 बोलत से अधिक	25.45 लाख

क्रमांक	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	
1 (i)	वर्ष 2017-18 हेतु आठवारी नीति से हिये गये निर्देशानुसार वार्षिक अवस्थित व तद आधारेित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / वार्षिक लाइसेंस फीस / प्रतिमैत्रिण धनराशि से वही कर देणी शरार की टुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक अवस्थित (तद आधारेित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निधारेित वही हे के साथ) वार्षिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिमैत्रिण धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा वीयर की टुकानों व मजल शाख की लाइसेंस फीस, प्रतिमैत्रिण धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना।	
(ii)		उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देणी / विदेशी मदिरा, वीयर की टुकानों एवं मजल शाख तथा देणी शरार / विदेशी मदिरा, वीयर की नवस्थित टुकानों एवं नवस्थित मजल शाख के लिए वर्ष 2017-18 हेतु निधारेित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा / निधारेित लाइसेंस फीस पर अवस्थापन सांख्यानिक लाट्टी प्रकिया से आवदन पत्र माग कर किया जायेगा। ऐसी टुकानों के संबंध में देणी शरार के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारेित वार्षिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा वार्षिक धनराशि व प्रतिमैत्रिण धनराशि तथा विदेशी मदिरा, वीयर की टुकानों एवं मजल शाख के संबंध में लाइसेंस फीस, वार्षिक धनराशि व प्रतिमैत्रिण धनराशि को अधिकतम करते हुए आवदन पत्र मागने एवं लाट्टी हेतु आवदन पत्रों का विवरण दिनांक 11.12.2016 से प्रारम्भ कर दिनांक 14.12.2016 को अपरान्ह 14.00 बजे तक करने एवं उसी दिन साय 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन।	
(iii)		उपरोक्त समस्त टुकानों के नवीनीकरण हेतु आवदन पत्रों का विवरण दिनांक 03.12.2016 से दिनांक 08.12.2016 को अपरान्ह 13.00 बजे तक करने के संबंध में एवं माग की फुटकर टुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन का प्रकाशन	
(iv)	नवीनीकरण हेतु आवदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	नवीनीकरण हेतु आवदन पत्रों पर इस्तेाार करते हेतु टुकानों के	
(v)		जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवदन पत्रों पर इस्तेाार करते हेतु टुकानों के	
(vi)		नवीनीकरण करने की अन्तिम तिथि	
(vii)		आवेदन पत्रों का विवरण	
(viii)		आवेदन पत्रों की जमा करने की अन्तिम तिथि	
(ix)		आवेदन पत्रों का परीक्षण	
(x)		सांख्यानिक लाट्टी	

5. विधि मय जिन के अलावा शेष आग, बारासी, गारुड एवं लखनक जिन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर निष्की की टुकानों के अवस्थापन की समय सारणी :-

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	प्रदेश की समस्त माग की फुटकर टुकानों की नीलामी	23.12.2016
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि टुकान अवस्थित हान से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविक से विधि निधारेित कर निवमानुसार अवस्थापन करयेगे	

4. नीलामी की फुटकर टुकानों की नीलामी हेतु समय सारणी :-

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।
(नवनाथ)
30.11.16

- नोट-1- यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निष्पत्ति रिपोर्ट को सांख्यिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सांख्यिक अवकाश रद्द है, तो उसके बावजूद संबंधित रिपोर्ट के लिये निष्पत्ति रिपोर्ट कायम रखावत समाहित किये जायेंगे।
- 2- उपरोक्त रिपोर्ट तथा वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.upexcise.in पर देखा जा सकता है।

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1(i)	वर्ष 2017-18 हेतु आबकारी नीति में विद्यमान निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की टुकानों व माहल शास (नवसंजित टुकानों सहित) की वार्षिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिमासिक धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	02.12.2016
2(ii)	अनुशाषी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की टुकानों (नवसंजित टुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकात्मिक विधावाहिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	06.12.2016 को
3(iii)	एकात्मिक विधावाहिकार का नवीनीकरण।	06.12.2016 को
4(iv)	विलाहिकारी/लाइसेंस प्राहिकारी द्वारा वर्तमान टुकानों के नवीनीकरण तथा नवसंजित टुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि।	09.12.2016 को
5(v)	17.00 बजे तक	17.00 बजे तक

6. विहित संरत जिन (देशी प्रसार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की टुकानों एवं माहल शास के व्यवस्थापन हेतु समय सारणी:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक
3(i)	उपरोक्त प्रक्रिया के प्रचालन अवकाश रद्दी देशी शराब की टुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2016-17 के वार्षिक अवस्थिति एमजी.यू. पर आधारित वार्षिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस पर आकर मागाकर मदिरा, बीयर की टुकानों एवं माहल शास की वर्ष 2015-16 की लाइसेंस फीस पर आकर मागाकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञापित।	16.12.2016
2(ii)	आवेदन पत्रों का विवरण।	17.12.2016 से
3(iii)	आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि।	20.12.2016 को
4(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण।	20.12.2016 को
5(v)	आकर के आधार पर अनुशाषी का घयन/सांख्यिक लाटरी।	21.12.2016
6(vi)	राष्ट्रीय घरण के प्रचालन हेतु टुकानों के अवस्थिति जिन से शेष रह जाती है तो विलाहिकारी/लाइसेंस प्राहिकारी स्वविवेक से रिपोर्ट निष्पत्ति कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	22.12.2016 को
7(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01-04-2017 से टुकानों के संचालन हेतु व्यवस्थापन की कार्यवाही।	30.03.2017